

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (1) (6) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/9855-9863 दिनांक :- 21/10/2013

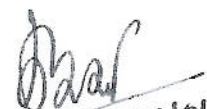
कार्यालय आदेश

श्री वीरेन्द्र सिंह चारण, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर अपने वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय उप कोषालय, भीनमाल (जालौर) के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे। इन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (1) (6) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-III/9855-9863 दिनांक :- 21/10/2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
2. कोषाधिकारी, जालौर।
3. उप कोषाधिकारी, भीनमाल (जालौर)।
4. श्री वीरेन्द्र सिंह चारण, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-II]